प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बाडमेर** थानाः– **सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2022**
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 141/22 दिनांक 26/4/2022
2. (1) अधिनियम **पी0सी0एक्ट** धारा :–**7 भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018**
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः–
   (3) अधिनियम ..... धाराये :–.....
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये :– .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 485 समय 11:00 Am
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– दिनांक **25.04.2022** समय **01.30 पी.एम.**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक **20.04.2022** समय **03.05 पी0एम0**
4. सूचना की किस्म :– **कम्प्युटराईज्ड**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **चौकी से बदिशा उत्तर करीबन 60 किलोमीटर**
   (ब) पता :– कस्बा शिव स्थित आरोपी का निजी आवास
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–
6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता
   (अ) नाम :– **श्री चतरसिह**
   (ब) पिता का नाम :– **श्री भूरसिह**
   (स) जन्मतिथि/वर्ष :– **उम्र 40 वर्ष**
   (द) राष्ट्रीयता :– **भारतीय**
   (य) पाटपोर्ट संख्या :–..... जारी होने की तिथी.....
   (र) व्यवसाय :– **खेती**
   (ल) पता :– **निवासी देवका, ग्राम पंचायत राजडाल, पंचायत समिति शिव, जिला बाडमेर।**
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   श्री मदनलाल पुत्र चेतनराम जाति मेगवाल उम्र 43 साल निवासी मंसूरिया कॉलोनी बाडमेर हाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति शिव तत्का. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत राजडाल पंचायत समिति शिव जिला बाडमेर। मोबाईल नम्बर 8239064080
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारणः– कोई नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–.....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य :– **ट्रेप राशि 9000 रुपये**
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट .....

सेवामे

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाडमेर।

विषय :– ग्राम पंचायत राजडाल के ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़वाने बाबत।

महोदय,

सादर निवेदन है कि मै चतुरसिह पुत्र श्री भूरसिह जाति राजपूत निवासी देवका ग्राम पंचायत राजडाल का रहने वाला हूँ। मैने ग्राम पंचायत से मेरे व मेरे भाई तनसिह के पट्टे जारी करवाने हेतु फाईले 1 साल पहले हमारे ग्राम विकास अधिकारी श्री मदनलाल को दी गई थी। मेरे भाई ने अपने पटटे हेतु मुझे ही ग्राम विकास अधिकारी से मिलकर बात करने का कह रखा है। मैने आज से करीब 5–7 दिन पहले ग्राम विकास अधिकारी से पटटो के सम्बन्ध मे पूछा तो ग्राम विकास अधिकारी श्री मदनलाल ने प्रति पट्टा 5–7 हजार रूपये देने पर ही पट्टे जारी करना बताया। मै मेरे जायज काम के लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री मदनलाल को रिश्वत राशि ना देकर रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरे व मेरे भाई की ग्रामसेवक से कोई रंजिश नही है एवं न कोई लेन–देन बकाया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त भ्रष्ट ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ने की कार्यवाही करने की कृपा करावें।

भवदीय,
सही/–
(चतरसिह)
निवासी देवका ग्राम पंचायत
राजडाल पंचायत समिति शिव जिला
बाड़मेर
मोबाईल नम्बर 9982692761

एसडी	एसडी	एसडी
मुकनदान सी.आई	हरिकिशन	रजाक खान
दिनांक 20.04.2022	22.04.2022	22.04.2022

कार्यवाही पुलिस दिनांक 20.04.2022 वक्त 01.30 पी0एम0

इस समय परिवादी श्री चतरसिह पुत्र श्री भूरसिह जाति राजपूत उम्र 40 वर्ष निवासी देवका ग्राम पंचायत राजडाल जिला बाडमेर ने ब्यूरो कार्यालय बाडमेर मे मन् मुकनदान निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय का पेश किया कि " मै चतुरसिह पुत्र श्री भूरसिह जाति राजपूत निवासी देवका ग्राम पंचायत राजडाल का रहने वाला हूँ। मैने ग्राम पंचायत से मेरे व मेरे भाई तनसिह के पट्टे जारी करवाने हेतु फाईले 1 साल पहले हमारे ग्राम विकास अधिकारी श्री मदनलाल को दी गई थी। मेरे भाई ने अपने पटटे हेतु मुझे ही ग्राम विकास अधिकारी से मिलकर बात करने का कह रखा है। मैने आज से करीब 5–7 दिन पहले ग्राम विकास अधिकारी से पटटो के सम्बन्ध मे पूछा तो ग्राम विकास अधिकारी श्री मदनलाल ने प्रति पट्टा 5–7 हजार रूपये देने पर ही पट्टे जारी करना बताया। मै मेरे जायज काम के लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री मदनलाल को रिश्वत राशि ना देकर रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरे व मेरे भाई की ग्रामसेवक से कोई रंजिश नही है एवं न कोई लेन–देन बकाया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त भ्रष्ट ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ने की कार्यवाही करने की कृपा करावें।" परिवादी चतरसिह ने दरियाफत पर यह प्रार्थना पत्र कचहरी परिसर से टाईप करवाकर इस पर अपने हस्ताक्षर करना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लेकर श्री बांकाराम कानि. 584 को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर परिवादी श्री चतरसिह व श्री बांकाराम का आपस में परिचय करवाया गया तथा कार्यालय की अलमारी से डिजिटल टेप निकालकर परिवादी को रिकोर्डर को चालू

व बन्द कर वार्तालाप रिकॉर्ड करने की प्रकिया से भली भाति समझाईश की गई एवं कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर श्री बांकाराम कानि0 को सुपूर्द कर परिवादी श्री चतरसिह के साथ रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु परिवादी के बताये अनुसार उसके साथ ग्राम देवका को रवाना कर श्री बांकाराम कानि. को हिदायत हुई कि परिवादी के साथ जाकर डिजिटल टेप रिकार्डर ऑन कर परिवादी को सुपूर्द कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आवें। वक्त 05.50 पी0एम0 रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु गये हुए श्री बांकाराम कानि. एवं परिवादी श्री चतरसिह कार्यालय हाजा में उपस्थित आए एवं श्री बांकाराम कानि0 ने कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत कर बताया कि चौकी हाजा से परिवादी के साथ प्राईवेट वाहन से ग्राम देवका को रवाना हुऐ। बीच रास्ते मे परिवादी ने अपने मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर सम्पर्क कर उसकी मिलने का स्थान पूछा तो आरोपी ने कस्बा शिव मे पंजाब नेशनल बैक के सामने मैन रोड पर मिलना बताया। जिस पर हम उसी वाहन से परिवादी के साथ कस्बा शिव बैक ऑफ बडौदा के पास पहुचे, परिवादी द्वारा अपने फोन से पुनः आरोपी के मोबाईल पर वार्ता करने पर आरोपी द्वारा कहा गया कि आप रूको मै बैक ऑफ बडौदा के सामने आ रहा हूँ। जिस पर मैने डिजिटल टेप रिकार्डर ऑन कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड करने हेतु परिवादी को सुपूर्द किया एवं मै परिवादी से कुछ दूर जाकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा रहा। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया एवं डिजिटल टेप रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मेनै स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मेरी आरोपी श्री मदनलाल ग्राम विकास अधिकारी से वार्ता हो गई है, मैने ग्राम विकास अधिकारी से मेरे व मेरे भाई तनसिह के पट्टो सम्बन्धी वार्ता की तो ग्राम विकास अधिकारी ने कहा कि दो पट्टो के 10 हजार रूपये दे देना, जिस पर मेरे द्वारा कुछ कम करने का कहने पर 9000 रूपये देने का कहा। उक्त वार्ता मेरे द्वारा इस टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है। तत्पश्चात हम दोनो उसी वाहन से कस्बा शिव से रवाना होकर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए है। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री चतरसिह से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप के सम्बंध में पूछने पर परिवादी ने बाकांराम के कथनो की ताईद करते हुए बताया कि मैने ग्राम विकास अधिकारी से मेरे व मेरे भाई के पट्टो सम्बन्धी वार्ता की तो ग्राम विकास अधिकारी ने कहा कि दो पट्टो के 10 हजार रूपये दे देना, जिस पर मेरे द्वारा कुछ कम करने का कहने पर 9000 रूपये देने का कहा। जिस मैने कहा कि आज तो रूपये तो कम ही है तो उन्होने कहा की कल मै शादी मे जाउगा परसो सुबह यहा शिव मे नों हजार रूपये ले आना इत्यादि वार्ता की है, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर को चालू कर सुनने पर परिवादी श्री चतरसिह द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद हुई एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी श्री मदनलाल ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी व उसके भाई के पटटे की एवज मे 9000 रूपये रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी ने कल शादी मे बाहर होना एवं परसो दिनांक 22.04.22 को 9000 रूपये लेकर आने का कहा है। जिस पर आगे की कार्यवाही दिनांक 22.04.2022 करने का निर्णय लेते हुए परिवादी को दिनांक 22.04.2022 को प्रातः 9 बजे तक रिश्वती में मांगी गई राशि लेकर ब्यूरो कार्यालय बाडमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं के कब्जे में लिया गया। ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर श्रीमान् खनिज अभियन्ता खनिज विभाग बाडमेर के नाम तेहरीर कमांक 770 दिनांक 21.04.2022 मूर्तिब कर स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु श्री बांकाराम कानि. को भेजा गया जो अपने साथ दो स्वतंत्र गवाहान के मन् निरीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया, जिस पर परिवादी के रुबरु मन् निरीक्षक पुलिस ने दोनो स्वतंत्र गवाहान को अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पूछने पर उन्हौने कमशः अपना परिचय श्री हरिकिशन पुत्र श्री शैराराम जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी खोथो का तला ग्राम पोस्ट बिजराड तहसील चौहटन जिला बाडमेर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय वरिष्ठ खान एवं भू–वैज्ञानिक विभाग बाडमेर मोबाईल नम्बर 7737650991 एवं श्री रजाक खान पुत्र श्री रमदान खान जाति मुसलमान उम्र 22 वर्ष निवासी असाडी तहसील गडरारोड जिला बाडमेर हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू– विज्ञान विभाग बाडमेर मोबाईल नम्बर 9511341893 होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही हेतु दिनांक 22.04.2022 को प्रातः 9 ए.ए. ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया। उपस्थित ब्यूरो स्टाफ को प्रातः 9.00 ए.एम. उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया।

दिनांक 22.04.2022 को प्रातः 9.00 ए0एम0 पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री चतरसिह प्राईवेट वाहन सहित ब्यूरो कार्यालय बाडमेर में उपस्थित आया और बताया कि मै श्री मदनलाल ग्राम विकास अधिकारी द्वारा तय की गई रिश्वती राशि 9,000 रूपये की व्यवस्था कर साथ लाया हुँ। कुछ ही समय बाद खनन विभाग बाडमेर से पुर्व में पाबन्दशुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री हरिकिशन व श्री

रजाक खान व पूर्व पाबन्द सुदा ब्यूरो स्टाफ भी कार्यालय मे उपस्थित आया। कार्यालय कक्ष मे पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री चतरसिह एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हरिकिशन व श्री रजाक खान का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र पढकर तथा पूर्व में डिजीटल रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करवाई गई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्यांश सुनाये गये। जिस पर दोनो गवाहान ने परिवादी से पुछताछ कर तसल्ली कर इस ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान रहने की अपनी सहमति प्रदान करते हुए परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात रूबरू स्वतन्त्र गवाहान परिवादी श्री चतरसिह को आरोपी श्री मदनलाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत राजडाल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 9000 रू0 प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री चतरसिह ने आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पॉच–पॉच सौ रुपये के अठारह नोट कुल 9000 रुपये अपनी जेब में से निकालकर मन् निरीक्षक पुलिस को रूबरू गवाहान पेश किये एवं परिवादी व गवाहान के रूबरू फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की किया–प्रतिकिया श्री लालाराम कानि.328 से प्रदर्शित करवाई जाकर मुर्तिब की गई। जिसका विस्तृत विवरण फर्द में अंकित कर फर्द पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री चतरसिह एवं आरोपी श्री मदनलाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत राजडाल के मध्य दिनांक 20.04.2022 को रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयॉ श्री बांकाराम कानि0 से तैयार करवाई जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त मूल व डब सीडी श्री सुराब खां कानि. को सुपुर्द कर जमा ट्रेप बॉक्स करवाई गई। आरोपी श्री मदनलाल ग्राम विकास अधिकारी की आवाज की पहचान एवं स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री चतरसिह द्वारा की गई। तत्पश्चात रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री लालाराम कानि.328 को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय हाजा में छोडा जाकर मन् निरीक्षक पुलिस, हमराह स्वतन्त्र गवाहान श्री हरिकिशन व श्री रजाकखान, परिवादी श्री चतरसिह तथा ब्यूरो जाब्ता श्री सुराब खांन कानि., श्री रघुवीरसिह कानि., श्री बांकाराम कानि. 584, श्री मिश्रीमल कानि0 नं0 260, श्री ठाकराराम कानि. 440, श्री अनूपसिंह कानि0 नं0 397, श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवयक सामग्री तथा डिजीटल टेप रिकॉर्डर के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो एवं परिवादी द्वारा लाये गये पिक अप वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी बाड़मेर से परिवादी के बताये अनुसार कस्बा शिव से कुछ दूर पहले पहुॅच मुकिम हुआ एवं परिवादी श्री चतरसिह को आरोपी श्री मदनलाल की गोपनीय रूप से उपस्थित ज्ञात करने बाबत निर्देशित किया। जिस पर परिवादी ने अपने सूत्रो से ज्ञात कर अवगत कराया कि आरोपी अपने निवास पर उपस्थित नही है। न ही पंचायत समिति मे उपस्थित है। मैने मेरे सूत्र मामुर किये है, जो आरोपी के उक्त स्थानो मे से किसी स्थान पर आने पर अवगत करवा देंगे। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल के आरोपी के कस्बा शिव मे उपस्थित आने के इन्तजार मे मुकिम रहा। काफी इन्तजार करने के उपरान्त भी आरोपी के कस्बा शिव मे अपने आवास एवं पंचायत समिति मे उपस्थित नही आने होने पर परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर दो तीन बार कॉल करवाये गये जिसमे आरोपी ने हर बार कुछ ही समय मे आने का कहा किन्तु उपस्थित नही आने पर परिवादी ने बताया कि बार–बार कॉल करने से उसे शंका हो जायेगी अब वह शायद अपने बाडमेर स्थित घर के लिए रवाना हो गया होगा इसलिए आज रिश्वती राशि लेन–देन संभव नही है। जिस पर परिवादी के जेब मे रखवाई गई रिश्वती राशि को स्वतन्त्र गवाह श्री हरिकिशन से निकलवाई जाकर एक लिफाफे मे सुरक्षित रखकर शामिल ट्रेप बॉक्स की गई एवं परिवादी को हिदायत हुई कि आरोपी की उपस्थिति ज्ञात कर मन निरीक्षक पुलिस को सुचित करे जिस पर अग्रिम कार्यवाही अमल मे लाई जा सके। परिवादी को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखस्त किया जाकर मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के सरकारी वाहन से कस्बा शिव से रवाना होकर ब्यूरो चौकी बाडमेर पहुॅच, ट्रेप बॉक्स को श्री सुराब खान को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना मे सुरक्षित रखवाया गया एवं गवाहान एवं ब्यूरो दल को आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया गया।

दिनांक 25.04.2022 वक्त 10.00 ए0एम0 मन निरीक्षक पुलिस की परिवादी से हुई मोबाईल वार्तानुसार आरोपी के कस्बा शिव मे होने अग्रिम कार्यवाही हेतु गवाह श्री हरिकिशन व श्री रजाक खान को तलब किया गया एवं परिवादी को कस्बा शिव मे उपस्थित मिलने बाबत पाबन्द किया गया। ट्रेप कार्यवाही हेतु प्राईवेट वाहन जाकर ब्यूरो के मालखाना से ट्रेप बॉक्स निकलवाया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय ब्यूरो दल सदस्य श्री मिश्रीमल कानि, श्री सुराब खा

कानि, श्री ठाकराराम कानि., श्री अनूपसिह कानि., श्री लालाराम कानि., श्री बांकाराम कानि. मय सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन मय चालक ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवयक सामग्री तथा डिजीटल टेप रिकॉर्डर के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी बाड़मेर से रवाना होकर कस्बा शिव मे हाईवे पर पहुँचा जहा पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री चतरसिह अपनी मोटरसाईकिल सहित उपस्थित मिला। परिवादी ने अवगत कराया कि आरोपी अपने निजी आवास मे स्थित कमरे पर उपस्थित है। जो मेरे से आज रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा। जिस पर स्वतन्त्र गवाह श्री हरिकिशन से परिवादी की जामा तलाशी लिवाई जाकर मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई आपत्तिजनक राशि एवं वस्तु नही रहने दी जाकर श्री लालाराम कानि. से ट्रेप बॉक्स मे पूर्व मे लिफाफे मे रखवाई गई रिश्वती राशि को निकाल कर उक्त रिश्वती राशि का मिलान दोनो स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व मे मुर्तिबशुदा फर्द से करवाकर श्री लालाराम कानि. से परिवादी के पहनी पेन्ट की बायी जेब मे रखवाई जाकर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर पुनः गोपनीय ईशारे के सम्बन्ध मे अवगत करावाकर उक्त लिफाफे को श्री लालाराम कानि. से जलाया जाकर नष्ट करवाया जाकर श्री लालाराम कानि. के हाथ साथ लाये साबुन व साफ पानी से धुलवाये जाकर श्री लालाराम कानि. को रिश्वती राशि लेन–देन से लेकर हाथ धोवन की कार्यवाही तक पृथक रहने की हिदायत की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री चतरसिह को डिजिटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर रिश्वती राशि लेन–देन हेतु उसके बताये अनुसार आरोपी के कस्बा शिव मे हाईवे स्थित मकान पर परिवादी की मोटरसाईकिल से आवश्यक हिदायत कर रवाना किया एवं मन निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतन्त्र गवाहान, श्री मिश्रीमल कानि. श्री ठाकराराम कानि. के प्राईवेट वाहन मय चालक के पीछे–पीछे रवाना हुए एवं शेष ब्यूरो दल को सरकारी वाहन से कुछ दूरी पर रहने की हिदायत हुई। परिवादी रवाना शुदा हाईवे स्थित एक मकान मे बने कमरे के अन्दर प्रवेश हुआ एवं मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के उक्त आवास के नजदीक पहुँच अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए गोपनीय ईशारे के इन्तजार मे मुकीम रहे।

दिनांक 25.04.2022 वक्त 1.30 पी0एम0 रूबरू मौतबिरान परिवादी श्री चतरसिह ने अपने मोबाईल से मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिसकॉल कर रिश्वती राशि लेन–देन होने बाबत पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल एवं स्वतंत्र गवाहान के आरोपी के निजी आवास के कमरे के बाहर पहुँचा, जिसका दरवाजा बाहर रोड तरफ खुलता है। उक्त कमरा के बाहर रोड पर परिवादी श्री चतरसिह उपस्थित मिला, जिस पर परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच आफ कर मन निरीक्षक पुलिस ने कब्जे में लिया। परिवादी श्री चतरसिह ने उक्त कमरे के दरवाजे पर खडे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह ही श्री मदनलाल ग्राम विकास अधिकारी है, जिसने अभी अभी मेरे से रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त कर आपको आता देख नोट सडक पर फैक दिये है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय पत्र दिखाते हुए स्वयं एवं ट्रेप दल का परिचय बताते हुए सामने ही खडे व्यक्ति को उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री मदनलाल पुत्र चेतनराम जाति मेगवाल उम्र 43 साल निवासी मंसूरिया कॉलोनी बाडमेर हाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति शिव जिला बाडमेर होना बताया। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा वर्तमान मे ग्राम पंचायत राजडाल मे पदस्थापित होने के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया कि मेरे पास ग्राम विकास अधिकारी राजडाल का चार्ज था। जो मैने दिनांक 05.04.2022 को उच्चाधिकारियो के आदेशानुसार श्री ओंकार ग्राम विकास अधिकारी को सुपुर्द कर दिया है। जिस पर परिवादी की तरफ ईशारा कर पूछा की आप इन्हें पहचानते है एवं परिवादी से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है, जिस पर रुबरु गवाहान आरोपी श्री मदनलाल ने बताया कि मै इनको 5–7 दिन पहले से ही जानता हूँ। इन्होने आज मुझे पटटे जारी करने के बदले जबरदस्ती कुछ रूपये दिये जो मैने इसे वापिस देने का प्रयास किया जिस पर इसने नही लिये इसलिए मैने आप लोगो को आता देख कर बाहर फैक दिये है। ये मेरे पास क्यो आया मुझे पता नही है मेरे पास इसका कोई काम बकाया नही है। रूबरू गवाहान उक्त आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त कर ट्रेप दल को आता देख जो नोट सडक पर फैंक दिये थे, को स्वतन्त्र गवाह श्री हरिकिशन से उठवाये जाकर गिनवाये गये तो 500–500 रूपये 18 नोट कुल 9000 रूपये होना पाये गये। जिस पर फर्द पेशकशी दूसरे गवाह श्री रजाक खान को सुपुर्द कर मिलान करने पर गवाहान ने उक्त उठवाये गये नोट फर्द पेशकशी अनुसार हुबहु होना बताया। जिस पर उक्त रिश्वती राशि को स्वतन्त्र गवाह श्री हरिकिशन के पास रखवाये गये। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ऑन कर रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप को रूबरू गवाहान सुना तो उसमे आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत प्राप्त करना एवं रिश्वती राशि कितनी है इत्यादि वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। जिस पर आरोपी को उक्त वार्ता के सम्बन्ध मे पुनःतसल्ली देकर पूछा तो आरोपी निरूत्तर रहा एवं बताया कि रिकॉर्ड राजडाल ग्राम पंचायत मे पडा है। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री चतरसिह ने आरोपी के उक्त कथन का खण्डन करते हुए स्वैच्छा से बताया कि ग्राम विकास अधिकारी झूठ बोल रहे है, मैने

कुछ दिन पहले मेरे व मेरे भाई के पटटो के सम्बन्ध बात की तो इन्होने प्रति पट्टा 5–7 हजार रूपये की मांग की थी जिस पर मेरे द्वारा एसीबी चौकी बाड़मेर में इनके खिलाफ कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं दिनांक 20.04.2022 को रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने पर ग्राम विकास अधिकारी ने मेरे से मेरे एवं मेरे भाई तनसिह के पट्टे सम्बन्धी वार्ता की तो ग्राम विकास अधिकारी ने पटटो के बदले 9000 रूपये ले आना एवं पट्टे ले जाना इत्यादि वार्ता कर रिश्वत की मांग की, जिस पर मैं ग्राम विकास अधिकारी के कहे अनुसार रिश्वत राशि का लेन–देन करवाने हेतु आज आया तो इन्होने कहा कि पटटे वहां है एवं रिश्वती राशि के सम्बध मे कहा कि कितने है जिस पर मैने कहा कि नौ है तब इन्होने कहा कि एक आपका और, जिस पर मैने कहा एक तनसिह का है। तो इन्होने कहा कि मिल जायेगे। मेरे द्वारा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 9000रुपये इन्हे अभी थोडी देर पहले दिये है इन्होने मेरे से रिश्वत राशि मेरे से अपने हाथ से प्राप्त की जिस पर मेरे द्वारा इस कमरा से बाहर आकर मिस कॉल कर रिश्वती राशि प्राप्त करने का गापनीय ईशारा कर दिया। जिस पर इन्होने ने आप सभी को एक साथ आता देखकर अपने कमरे के गेट पर आकर उक्त रिश्वती राशि बाहर सडक पर फैक दिये है। परिवादी ने यह भी बताया कि यह ग्राम पंचायत राजडाल का रिकार्ड इसी कमरे मे रखते है। जो लोग रिश्वत देते है उनको यही से रिकॉर्ड दे देते है। मेरा पट्टा भी इसी कमरे मे होना चाहिए, जिस पर आरोपी से परिवादी चतरसिह व उसके भाई तनसिह के पटटो के सम्बन्ध मे पूछने पर आरोपी द्वारा उक्त कमरे मे अपनी टेबल की दराज से पटटा बहीं संख्या 13 आबादी भुमि का आंवटन ग्राम पंचायत राजडाल पंचायत समिति शिव एवं पट्टा बही संख्या 279 ग्राम पंचायत राजडाल पट्टा संख्या 01 से 100 तक प्रस्तुत किया। बही संख्या 13 के प्रथम पृष्ठ पर धनदान देथा विकास अधिकारी पंचायत समिति शिव के हस्ताक्षर शुदा पट्टा बही संख्या 13 पेज संख्या 01 से 50 तक (तीन प्रतियो मे) ईबारत अंकित होना पाया गया। जिसमे ग्राम पंचायत राजडाल के बुक नम्बर 13 पट्टा कमांक 01 दायर दिनांक 05.09.2021 प्रार्थी उम्मेदाराम पुत्र हडवन्ताराम निवासी देवका तहसील शिव जिला बाडमेर के नाम से दिनांक 20.10.2021 को पटटा जारी होना पाया गया। उक्त पट्टा पंजिका मे पटटा संख्या 40 तक भरे हुए दो प्रतिया मे प्रतियो पर ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच की सील अंकित होकर हस्ताक्षर नही होना एवं शेष पटटे तीन प्रतियो मे खाली होना पाये गये। जिस पर पटटा पंजिका का अवलोकन करने पर पट्टा संख्या 15 दायर दिनांक 05.09.2021 प्रार्थी चतरसिह पुत्र श्री भूरसिह निवासी देवका तहसीली शिव जिला बाडमेर के नाम 900 वर्ग फुट का पट्टा दिनांक 20.10.2021 को जारी होना जिसके पुश्ट पर सीमांकन, मानचित्र, माप अंकित होना पाया गया। उक्त पट्टा विलेख पर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत राजडाल एवं गुडडी देवी सरपंच ग्राम पंचायत राजडाल पंचायत समित शिव की विभागीय सील अंकित होकर बिना हस्ताक्षरित पाई गई। जिस पर रूबरू गवाहान आरोपी श्री मदनलाल से उक्त पट्टा विलेख पर प्रत्येक दो प्रतियो पर सील अंकित होकर हस्ताक्षर नही होने के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया कि उक्त पटटा विलेख तीन प्रतियो मे जारी होता है जिसमे एक प्रति प्रार्थी की दूसरी प्रति पंचायत समिति की व तृतीय प्रति ग्राम पंचायत की होती है। उक्त पट्टा विलेख मे पंचायत समिति व ग्राम पंचायत की प्रति है जिस पर हस्ताक्षर नही किये हुए है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस ने प्रार्थी श्री चतरसिह एवं उसके भाई तनसिह के मूल पटटो के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया कि मुझे पता नही पटटे कहा है एवं पटटा बही मे दिनांक 20.10.2021 को जारी सुदा दो प्रतियो मौजूद पटटो पर विभागीय सील होने एवं हस्ताक्षर नही होने के सम्बन्ध मे पुनः पूछने पर निरूत्तर रहें। जिस पर पास ही उपस्थित परिवादी ने स्वेच्छा से बताया कि जो रिश्वत देते है उनको मूल पटटे देकर पंचायत समिति एवं ग्रम पंचायत की पटटा प्रति पर ग्राम सेवक हस्ताक्षर कर देते है। जिस पर उक्त मूल पट्टा पंजिका 33 कब्जा ब्यूरो ली जाकर प्रथम पृष्ठ एवं अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार ग्राम पंचायत राजडाल की पटटा पंजिका बुक संख्या 279 का अवलोकन करने से पाया गया कि उक्त पट्टा पंजिका मे पट्टा संख्या 01 से 100 तक जारी किये गये है। जिसमे कुछ पट्टे खाली है कुछ मूल पट्टो पर सरपंच व ग्रम सेवक के हस्ताक्षर किये हुए है। कुछ पट्टो पर ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच की सील लगी होकर हस्ताक्षर किये हुए नही है एवं कुछ पटटो की कार्यालय प्रति व पंचायत प्रति बिना हस्ताक्षरित पंजिका मे मौजूद है उक्त पट्टा बुक संख्या 279 के पट्टा संख्या 94 दिनांक 20.10.2021 के अवलोकन से पाया गया कि उक्त पट्टा श्री तनसिह पुत्र श्री भूरसिह निवासी देवका के नाम से 900 वर्गफुट का दिनांक 21.10.2021 को जारी होना अंकित किया हुआ होकर दो प्रतिया मौजूद है एवं मूल पट्टा मौजूद नही है। पट्टा संख्या 94 के कार्यालय प्रति एवं पंचायत समिति की प्रति पर ग्राम विकास अधिकारी एवं गुडडी देवी सरपंच ग्राम पंचायत राजडाल पंचायत समिति शिव की सील अंकित होकर उस दोनो के हस्ताक्षर नही किये हुए है। उक्त बुक संख्या 279 पुरानी होने एवं उसमे कुछ जारी सुदा मूल पट्टे होने से परिवादी के भाई श्री तनसिह पुत्र भूरसिह निवासी देवका के नाम जारी पट्टा संख्या 94 की प्रति पर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाकर प्रमाणित करवाकर प्रमाणित प्रति प्राप्त कर

शामिल पत्रावली की गई। मूल पट्टा बुक पुनः सम्बन्धित अधिकारी को सुपुर्द की गई। आरोपी को परिवादी व उसके भाई तनसिह के नाम के पट्टो रसीद के प्रस्तुत करने का कहने पर उसने अपनी दराज से ग्राम पंचायत राजडाल की प्रपत्र संख्या 11 (नियम 106) कम संख्या 01 से 100 तक की प्रस्तुत की जिसमे कम संख्या 80 पर श्री चतरसिह/भूरसिह निवासी देवका के नाम एव कम संख्या 81 पर श्री तनसिह/भूरसिह निवासी देवका के नाम दिनांक 20.10.2021 को पट्टा शुल्क के रूप मे 250–250 रूपये अंकित होकर दोनो रसीदो पर सरपंच/सचिव के हस्ताक्षर की जगह किसी के हस्ताक्षर नही होना एवं मूल व कार्यालय प्रति उक्त रसीद बुक मे मौजूद होना पाया गया। जिस पर उक्त दोनो रसीदो पर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त रसीद बुक को मूल कब्जा ब्यूरो लिया गया। आरोपी से चार्ज हस्तान्तरण के सूची बाबत पूछने पर उसने अपनी दराज से चार्ज हस्तान्रण सूची ग्राम पंचायत राजडाल की हस्तलिखित पेज संख्या 01 से 08 तक प्रस्तुत की। जिसमे चार्ज देने की दिनांक खाली है। चार्ज लेने वाले एवं देने वाले के हस्ताक्षर नही है। उक्त चार्ज हस्तान्तरण सूची पर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल कब्जा ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात रुबरु गवाहान व परिवादी के आरोपी श्री मदनलाल सहायक विकास अधिकारी की हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए कांच की दो साफ गिलासों में आरोपी के उक्त आवास से ही साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त दोनो गिलासो में आधा–आधा साफ पानी भरकर दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री मदनलाल सहायक विकास अधिकारी के दांहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में श्री मदनलाल सहायक विकास अधिकारी के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी हाजरीनों ने मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा– आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एलएच–1 व एल.एच–2 अंकित किया गया। स्वतन्त्र गवाह श्री हरिकिशन को पूर्व बरामदा रिश्वती राशि 9000 रूपये प्रस्तुत करने का कहने पर उनके द्वारा मन निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किये जिसे पुनः गवाहान से फर्द पेशकशी रिश्वती राशि से मिलान करवाकर उक्त बरामदा रिश्वती राशि को एक कपड़े में सिल चिट कर उस पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री मदनलाल द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि अपने हाथ से प्राप्त कर ब्यूरो दल को आता देख कर रिश्वती राशि को मुख्य सड़क पर फैंक दिये, उक्त सड़क पथरीली होने से उक्त स्थान को धोवन लिया जाना सम्भव नहीं होने से उक्त रिश्वती राशि बरामदगी स्थल का धोवन नहीं लिया जा सका। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन कार्यवाही मुर्तिब कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। मन् निरीक्षक पुलिस ने थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जरिये फोन आरोपी मदनलाल के मंसुरिया कॉलोनी बाडमेर स्थित आवास की निगरानी हेतु जाब्ता भिजवाने हेतु अवगत करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री चतरसिह की निशादेही पर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मूर्तिब कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई एवं आरोपी श्री मदनलाल के कस्बा शिव स्थित उक्त आवास की खाना तलाशी मूर्तिब कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री मदनलाल के कस्बा शिव स्थित आवास हाईवे पर मुख्य सडक पर स्थित होने एवं आमजन के आवश्यक कार्य हेतु ग्राम विकास अधिकारी के पास आने से भीड भाड होने से अग्रिम कार्यवाही नजदीक ही स्थित पुलिस थाना शिव मे किये जाने का निर्णय लिया जाकर दस्तयाबशुदा आरोपी श्री मदनलाल, दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री चतरसिह मय ब्यूरो जाब्ता, धोवन के प्रादर्श, बरामदा रिश्वती राशि सम्बन्धित रिकार्ड मय ट्रेप बॉक्स, डिजिटल टेप रिकॉर्डर इत्यादि के सरकारी वाहन व प्राईवेट से रवाना पुलिस थाना शिव मे पहुँच अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए परिवादी श्री चतरसिह एवं आरोपी श्री मदनलाल सहायक विकास अधिकारी के मध्य आज दिनांक 25.04.2022 को रुबरु हुई रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्किप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयॉ श्री बांकाराम कानि0 से तैयार करवाई जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री मदनलाल सहायक विकास अधिकारी की आवाज की पहचान एवं स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री चतरसिह द्वारा की गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो जाब्ता ग्राम पंचायत राजडाल पहुच परिवादी व उसके भाई के पट्टो से सम्बन्धित मूल मिशले एवं

ग्राम पंचायत राजडाल की कर्मचारी उपस्थित पंजिका मूल प्राप्त कर कस्बा शिव पहुच विकास अधिकारी पंचायत समिति शिव से प्रमाणित करवाकर प्रमाणित पटटा मिशले व उपस्थिति पंजिका की प्रति शामिल पत्रावली की गई एवं मूल मिशले व उपस्थिति पंजिका विकास अधिकारी को सुपुर्द कर पुलिस थाना शिव पहुँचा। प्रकरण में अब तक की कार्यवाही से श्री मदनलाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति शिव जिला बाडमेर के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया जाने से उसे उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर उसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में मौके समस्त कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी श्री चतरसिह को रुखस्त दी जाकर मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो दल सदस्यो, गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री मदनलाल सहायक विकास अधिकारी, जब्त सुदा रिकार्ड एवं मालखाना आईट्म के जरिये सरकारी बोलेरो वाहन, निजी वाहन के रवानाशुदा ब्यूरो चौकी बाडमेर पहुचा, ट्रेप कार्यवाही में रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप व रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप की एक–एक मूल सी0डी0 शील्ड शुदा एवं एक–एक डब सी0डी0 खुली एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त रिश्वती राशि 9000रू0 शील्ड चिटयुक्त, धोवन की शीशियां मार्क आरएच–01 व आरएच–02, एलएच–01 व एलएच–02, इत्यादि मालखाना आईटम्स श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि0 को सुपूर्द कर सुरक्षित जमा मालखाना करवाये गये। प्रकरण में गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री मदनलाल सहायक विकास अधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर के नाम तेहरीर मुर्तिब कर श्री बांकाराम कानि0, श्री लालाराम कानि0 मय आरोपी श्री मदनलाल सहायक विकास अधिकारी के रवाना कर हिदायत हुई की बाद स्वास्थ्य परीक्षण आरोपी को सुरक्षार्थ पुलिस थाना कोतवाली मे जमा करवाकर उपस्थित आवे एवं मन निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हरिकिशन कनिष्ठ सहायक एवं श्री रजाक खान व ब्यूरो जाब्ता एवं महिला कानि. श्रीमती सुमन व श्रीमती वीरो पुलिस लाईन बाडमेर जरिये प्राईवेट वाहन के आरोपी श्री मदनलाल के मंसुरिया कॉलोनी बाडमेर स्थित रहवासी आवास पहुँच विधिवत खाना तलाशी मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ब्यूरो चौकी बाडमेर पहुचा स्वतन्त्र गवाहान एवं महिला कानि को रूखस्त किया गया।

इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री चुतरसिह द्वारा दिनांक 20.04.2022 को ब्यूरो कार्यालय बाडमेर मे एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि मैने ग्राम पंचायत से मेरे व मेरे भाई तनसिह के पट्टे जारी करवाने हेतु फाईले 1 साल पहले हमारे ग्राम विकास अधिकारी श्री मदनलाल को दी गई थी। ग्राम विकास अधिकारी प्रति पट्टा 5–7 हजार रूपये रिश्वती राशि की मांग कर रहे है। जिस पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी द्वारा परिवादी व उसके भाई के नाम पटटे जारी करने की एवज मे 9000 रूपये रिश्वती राशि मांग की पुष्टि हुई जिस पर दिनांक 25.04.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री मदनलाल सहायक विकास अधिकारी को परिवादी से उसके व उसके भाई के नाम पटटे जारी करने की एवज मे 9000 रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथो गिरफतार किया जाकर आरोपी के कब्जा से ग्राम पंचायत राजडाल की पटटा बुक, रसीद बुक बरामद की गई। आरोपी श्री मदनलाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति शिव को उसके द्वारा किये गये अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से उसे गिरफ्तार किया गया।

अतः आरोपी श्री मदनलाल, पुत्र चेतनराम जाति मेगवाल उम्र 43 साल निवासी मंसूरिया कॉलोनी बाडमेर सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति शिव तत्का. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत राजडाल पंचायत समिति शिव जिला बाडमेर के विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय,

(मुकनदान)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाड़मेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मुकनदान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री मदनलाल, हाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति शिव तत्का. ग्राम विकास अधिकारी ग्रांम पंचायत राजडाल पंचायत समिति शिव, जिला बाड़मेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 141/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

26/4/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1245-49 दिनांक 26.04.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।